राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
वित्त भवन, ए—ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर—302005

(दूरभाष नं0:—0141—2740837,, **फैक्स** 0141—2742309, **ई—मेल**:—jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक:— एफ.4(ई) / एस—3481 / 2013 / अलेसे—ाा / 380 दिनांक:— 03/09/2025

कार्यालय आदेश

श्रीमती शिखा अग्रवाल, (तत्कालीन कनिष्ठ लेखाकार) हाल सहायक लेखाधिकारी ग्रेड—।। (लिंक न. 11669) पदस्थापन कार्यालय अतिरिक्त निदेशक (क्षेत्र), पशुपालन विभाग, भरतपुर के विरूद्ध आरजीएचएस कार्ड के दुरूपयोग के संबंध में निदेशक पशुपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर के पत्रांक 2108 दिनांक 28.07.2025 एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस ऐजेन्सी, आरटी. डी.सी. हैडआफिस, जयपुर के राजकाज रेफरेन्स न0 17230300 दिनांक 18.08.2025, पत्रांक 5397 दिनांक 19.08.2025 द्वारा प्राप्त शिकायत के आधार पर राजस्थान सिविल सेवायें (वर्गीकरण नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावित / विचाराधीन है।

अतः राजस्थान सिविल सेवायें (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 13 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीमती शिखा अग्रवाल, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड—।।, कार्यालय अतिरिक्त निदेशक (क्षेत्र), पशुपालन विभाग, भरतपुर को तुरन्त प्रभाव से निलम्बित किये जाने के एतदद्वारा आदेश प्रदान किये जाते हैं।

श्रीमती शिखा अग्रवाल, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड—।।, कार्यालय अतिरिक्त निदेशक (क्षेत्र), पशुपालन विभाग, भरतपुर का निलम्बनकाल में मुख्यालय, निदेशालय कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर के कार्यालय में रहेगा।

श्रीमती शिखा अग्रवाल, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड—।।, कार्यालय अतिरिक्त निदेशक (क्षेत्र), पशुपालन विभाग, भरतपुर को निलम्बन अवधि में अवकाश वेतन के बराबर, उस सीमा तक यदि वे अर्द्ध वेतन अवकाश पर रहते, के बराबर निर्वाह भत्ता एवं ऐसे वेतन पर अन्य भत्ते नियमानुसार देय होगें।

(बृजेश किशोर शर्मा),
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:— एफ.4(ई) / एस—3481 / 2013 / अलेसे—ाा / 380 दिनांक:— 03/09/2025

<u>प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—</u>

1. शासन सचिव, पशुपालन, मतस्य एवं गोपालन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राजस्थान स्टेट हेल्थ एश्योरेंस ऐजेन्सी, आरटी.डी.सी. हैडआफिस, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
4. निदेशक पशुपालन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. अतिरिक्त निदेशक (क्षेत्र), पशुपालन विभाग, भरतपुर।
6. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक कोष एवं लेखा विभाग, जयपुर।
7. श्रीमती शिखा अग्रवाल, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड—।।, कार्यालय अतिरिक्त निदेशक (क्षेत्र), पशुपालन विभाग, भरतपुर।
8. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
9. पदस्थापन सीट / रक्षित / निजी पत्रावली।

(नरेन्द्र सिंह)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक—ाा / ााा)